

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक 1225/2015  
 संस्थापित दिनांक 11/12/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. गिराज पुत्र पुत्तूलाल कुशवाह
2. पुत्तूलाल पुत्र सामले कुशवाह
3. श्रीमती रामवेटी पत्नी पुत्तूलाल कुशवाह  
 निवासीगण— दत्तपुरा वार्ड नं0-2 गोहद

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 498ए भा.दं.सं. तथा दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 03 एवं 04 )  
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)  
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता— श्री ऊदल सिंह गुर्जर।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 06 / 03 / 17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 28.01.2012 से दिनांक 23.10.2015 के मध्य वार्ड क्रमांक 02 दत्तपुरा गोहद में फरियादिया पिकी कुशवाह के पति/ नातेदार होकर फरियादिया पिकी कुशवाह से दहेज में एक लाख रुपए एवं एक मोटरसाईकिल की मांग करने एवं मांग की पूर्ती न होने पर फरियादिया पिकी कुशवाह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित करने, पिकी कुशवाह से दहेज में एक लाख रुपए एवं एक मोटरसाईकिल की मांग कर फरियादिया पिकी कुशवाह को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करने, दिनांक 07.10.2015 को वार्ड क्रमांक 02 दत्तपुरा गोहद में फरियादिया पिकी कुशवाह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उसी समय फरियादिया पिकी कुशवाह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास करने हेतु भा0द0वि0 की धारा 498ए, 323 एवं 506 भाग-2 तथा दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 03 एवं 04 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया पिकी कुशवाह का विवाह दिनांक 28.01.2012 को आरोपी गिराज के साथ सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन में संपन्न हुआ था। शादी के बाद से ही आरोपी गिराज उसे प्रताड़ित करने लगा था। गिराज फरियादिया के पिता से एक लाख रुपए एवं एक मोटरसाईकिल लेकर आने को कहता था। फरियादिया पिकी के पिता गरीब थे और वे इतना पैसा नहीं दे सकते थे। दहेज देने से इंकार करने पर आरोपीगण फरियादिया पिकी की मारपीट करते थे एवं उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देकर प्रताड़ित करते रहते थे। सास-ससुर भी फरियादिया को घर से निकालकर गिराज की दूसरी शादी करना चाहते थे। गिराज शराब पीकर फरियादिया पिकी के साथ मारपीट करता था। दिनांक 07.10.2015 को रात्रि करीब 11:00 बजे आरोपी गिराज शराब पीकर आया था एवं सोते में फरियादिया पिकी की थप्पड़, घूसों, बेल्ट, लातघूसों से मारपीट की थी एवं बिजली के हीटर से करंट लगाने का प्रयास करने लगा था तथा पैसे और मोटरसाईकिल न लाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट में फरियादिया पिकी को कंधे, कान, कमर एवं शरीर के अन्य भागों में चोटें आई थीं। वह दूसरे दिन दिनांक 08.10.2015 को अपने मायके अपने माता-पिता के साथ ग्वालियर आई थी तथा उसने माता-पिता को उक्त घटना के विषय में बताया था। फिर उसने घटना के संबंध में थाना प्रभारी महिला थाना पड़ाव में लेखीय

आवेदन दिया था। उक्त आवेदन के आधार पर महिला थाना पड़ाव में अपराध क्रमांक 374/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादिया पिकी द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छ्या पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनाम कर लने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0सं0 की धारा 498ए तथा दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 03 एवं 04 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.01.2012 से दिनांक 13.10.2015 के मध्य वार्ड क्रमांक 02 दत्तपुरा गोहद में फरियादिया पिकी कुशवाह के पति/नातेदार होकर फरियादिया पिकी कुशवाह से दहेज में एक लाख रुपए और एक मोटरसाईकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ती न होने पर फरियादिया पिकी कुशवाह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया पिकी कुशवाह से दहेज में एक लाख रुपए एवं मोटरसाईकिल की मांग की तथा फरियादिया पिकी कुशवाह को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया पिकी कुशवाह अ0सा0 01 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया पिकी अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी गिराज उसका पति एवं पुतूलाल उसके ससुर तथा रामबेटी उसकी सास है। उसकी शादी न्यायालयीन कथन से 04-05 साल पहले गिराज के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बच्ची संध्या पैदा हुई थी। घरेलू कामकाज को लेकर उसकी आरोपीगण से मुहवाद हो गया था। आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी थी, उसने इसी संबंध में महिला थाना पड़ाव में आवेदन दिया था जो प्र0पी0 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आवेदन के आधार पर महिला थाना पड़ाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जो प्र0पी0 02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्सा मौका प्र0पी0 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे अपने पिता के यहां से एक लाख रुपए एवं मोटरसाईकिल दहेज में लाने के लिए कहते थे तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि न लाने पर उसकी मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन प्र0पी0 01 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 02 तथा पुलिस कथन प्र0पी0 04 में पुलिस को लिखाई थी।

09. तर्क के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया पिकी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया पिकी अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसका आरोपीगण से घरेलू कामकाज को लेकर मुंहवाद हो गया था एवं इसी कारण आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि मारपीट के संबंध में फरियादिया द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में द0प्र0सं0 की धारा 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0वि0 की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 03 एवं 04 के अंतर्गत विचारण शेष है।

11. फरियादिया पिकी अ0सा0 01 ने अपने कथन में आरोपीगण से घरेलू बातों को लेकर मुंहवाद हो जाना बताया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में एक लाख रुपए व मोटरसाईकिल की मांग करते थे तथा मांग की पूर्ती न होने पर उसकी मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसके द्वारा आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपने आवेदन प्र0पी0 01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 02 तथा पुलिस कथन प्र0पी0 04 में पुलिस को लिखाई थी। इस प्रकार से फरियादिया पिकी अ0सा0 01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से कोई ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण ने फरियादिया पिकी से एक लाख रुपए एवं मोटरसाईकिल दहेज में लाने की मांग की थी तथा मांग की पूर्ती न होने पर फरियादिया पिकी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की थी। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण दिनांक 28.01.2012 से दिनांक 13.10.2015 के मध्य वार्ड क्रमांक 02 दत्तपुरा गोहद में फरियादी पिकी कुशवाह के पति/नातेदार होकर फरियादिया पिकी कुशवाह से दहेज में एक लाख रुपए एवं मोटरसाईकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ती न होने पर पिकी कुशवाह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की एवं पिकी कुशवाह से दहेज में एक लाख रुपए एवं मोटरसाईकिल की मांग कर पिकी कुशवाह को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी गिराज कुशवाह, पुत्तूलाल एवं रामबेटी में से प्रत्येक को भा0द0सं0 की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

15. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 06 /03 /17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित  
किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)